भा.कृ.अनु.परि.–केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान
पहूज बाँध के पास, झाँसी–ग्वालियर मार्ग, झाँसी – 284003 (उ० प्र०)
☏ : 0510 – 2730214, 2730154 *Fax* : 0510 – 2730364 *Web* : https://cafri.icar.gov.in

क्रमांक : 3–16 / 2022–23

दिनाँक : 15 / 11 / 2022

अल्पकालीन नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस संस्थान पर "मक्का, ज्वार एवं बाजरा फसलों के अवशेष / चारा – कुल लगभग 9.5 टन (साढ़े नौ टन)" की खुली बोली द्वारा नीलामी करने का निर्णय लिया गया है। इच्छुक बोलीदाता उक्त खुली नीलाम बोली में प्रतिस्पर्धात्मक दरों हेतु दिनाँक 18 / 11 / 2022 को मध्यान्ह 12.00 बजे संस्थान के समिति कक्ष में अनिवार्यतः उपस्थित हों । उक्त "फसलों के अवशेष / चारा" का भौतिक निरीक्षण एवं अन्य जानकारियों के लिये संस्थान के प्रक्षेत्र अनुभाग से किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे के मध्य सम्पर्क किया जा सकता है एवं सम्पूर्ण जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट https://cafri.icar.gov.in पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

प्रभारी अधिकारी (भण्डार)

Scanned with CamScanner

भा.कृ.अनु.परि.–केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान
पहूज बॉध के पास, झाँसी–ग्वालियर मार्ग, झाँसी – 284003 (उ0 प्र0)
☎ : 0510 – 2730214, 2730154 *Fax* : 0510 – 2730364 *Web* : https://cafri.icar.gov.in

क्रमांक : 3–16 / 2022–23

दिनॉक : 15 / 11 / 2022

नीलामी की शर्ते

1. भा.कृ.अनु.परि.–केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान, झॉसी द्वारा "मक्का, ज्वार एवं बाजरा फसलों के अवशेष / चारा – कुल लगभग 9.5 टन (साढ़े नौ टन)" की नीलामी जैसा है – जहॉ है, (As is – Where is basis) के आधार पर केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान परिसर में खुली बोली द्वारा दर आमन्त्रित कर सम्पन्न की जायेगी ।

2. "फसलों के अवशेष / चारा" की नीलामी बोली के लिये बोलीदाता द्वारा बोली के पूर्व, कुल रूपये 1,000/– (एक हजार) धरोहर धनराशि के रूप में नकद जमा कराना अनिवार्य होगा । उक्त धरोहर राशि को प्रथम तीन उच्चतम बोलीदाता को छोड़कर, शेष सभी को तत्काल वापिस कर दिया जायेगा ।

3. नीलाम किये जाने वाले "फसलों के अवशेष / चारा" का भौतिक निरीक्षण केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान, झॉसी के प्रक्षेत्र अनुभाग में सम्पर्क स्थापित कर, किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे के मध्य, किया जा सकता है ।

4. "मक्का, ज्वार एवं बाजरा फसलों के अवशेष / चारा – कुल लगभग 9.5 टन (साढ़े नौ टन)" की नीलामी में सम्मिलित होने हेतु दिनॉक 18/11/2022 को पूर्वान्ह 11.45 बजे तक उपस्थित होना अनिवार्य है । उक्त नीलाम बोली दिनॉक 18/11/2022 को मध्यान्ह 12.00 बजे से आरम्भ की जायेगी । किसी भी कारण से विलम्ब से उपस्थित होने के लिए यह संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा ।

5. विलम्ब से उपस्थित होने पर, नीलामी बोली में सम्मिलित किये जाने के लिए इस संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार विचार नहीं किया जायेगा ।

6. "फसलों के अवशेष / चारा" की खुली नीलाम बोली के लिए संस्थान द्वारा न्यूनतम धनराशि रूपये 5,000/– (पॉच हजार) मात्र निर्धारित की गयी है । खुली बोली उक्त न्यूनतम निर्धारित धनराशि से ही आरम्भ की जायेगी। जो कि उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में तय की जायेगी । सामान्यतः निर्धारित न्यूनतम नीलामी बोली धनराशि से कम की नीलामी बोली स्वीकार नहीं की जायेंगी । जिस पर कि संस्थान के निदेशक महोदय द्वारा गठित समिति एवं स्वयं निदेशक महोदय का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा ।

7. उच्चतम नीलामी बोलीदाता को नीलाम बोली के तत्काल बाद, उसी दिन सम्पूर्ण धनराशि संस्थान में पी.ओ.एस. / क्यू.आर. कोड / एटीएम कार्ड / डेबिट कार्ड के द्वारा अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो कि आई.सी.ए.आर. इकाई सी.ए.एफ.आर.आई., झॉसी के पक्ष में निर्गत हो तथा भारतीय स्टेट बैंक शाखा करारी, झॉसी (कोड – 07477) पर देय हो, के माध्यम से जमा करना होगा । सफल बोलीदाता को सम्पूर्ण धनराशि जमा कर दिनॉक 05 दिवस की अवधि में उक्त "फसलों के अवशेष / चारा" की कटाई/ढुलाई करना अनिवार्य होगा ।

8. नीलामी की स्वीकृति के उपरान्त क्रय किये गये "फसलों के अवशेष / चारा" की सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी क्रेता की होगी । किसी भी प्रकार की क्षति के लिये इस विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।

9. चयनित तथा सफल बोलीदाता को क्रय किये गये "फसलों के अवशेष / चारा" को ले जाने हेतु अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी होगी । इस संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध नहीं करायी जायेगी ।

10. चयनित तथा सफल बोलीदाता को क्रय किये गये "फसलों के अवशेष / चारा" को संस्थान के मुख्य द्वार से प्रातः 08.30 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य, प्रक्षेत्र अनुभाग द्वारा जारी उचित गेट पास प्राप्त कर के ले जाना होगा ।

11. चयनित बोलीदाता / क्रेता द्वारा "फसलों के अवशेष / चारा" को ले जाने हेतु बैलगाड़ी का प्रयोग करने की अवस्था में, अपने जानवरों को एक स्थान पर बॉधकर ऐसे रखना अनिवार्य होगा, ताकि वे जानवर संस्थान की किसी भी सम्पत्ति को नुकसान ना पहुँचा सकें ।

Scanned with CamScanner

12. चयनित बोलीदाता या उनके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा संस्थान की किसी भी सम्पत्ति को जानबूझकर क्षति पहुँचाने की स्थिति में, क्षतिपूर्ति नियमानुसार क्रेता को करनी होगी ।

13. चयनित बोलीदाता / क्रेता द्वारा क्रय किये गये "फसलों के अवशेष / चारा" को समय पर ना उठाने की स्थिति में सम्पूर्ण जमा राशि को संस्थान द्वारा जब्त कर लिया जायेगा ।

14. राज्य / केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित समस्त प्रकार के करों के भुगतान का उत्तरदायित्व क्रेता का होगा ।

15. नीलामी बोली की निर्धारित तिथि के दिन अवकाश घोषित होने की अवस्था में आगामी कार्य दिवस को तदनुसार मान्य किया जायेगा ।

16. संस्थान के निदेशक एवं सम्बन्धित कार्य हेतु गठित समिति को कोई भी अन्य महत्वपूर्ण शर्त, जो यहाँ अपूर्ण है, को सम्मिलित करने का अधिकार होगा ।

17. इस संस्थान का न्यायिक क्षेत्र झाँसी होगा ।

18. निदेशक, केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान, झाँसी को खुली नीलाम बोली को बिना कारण बताये स्वीकार करने एवं निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

19. नीलामी सम्बन्धी समस्त अधिकार निदेशक, भा.कृ.अनु.परि.–केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान, झाँसी के पास सुरक्षित रहेंगे। विवाद की स्थिति में निदेशक महोदय का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा । जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी ।

प्रभारी अधिकारी (भण्डार)

Scanned with CamScanner